

11-3  
22

वकील को उपा से प्राप्त कचरा  
आदेश 23 किया 1 जादी का का का का  
कले वाद पर पेश किया। जिस पर  
पहले को लक्ष किया गया। वकील




अहकाम जा इस हुक्म की तामील में जारी हुये

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

वादी इत गुरुद्वारे को बलाना नही पहिले  
वै व गबिष्य मे इतरपकत होके पर  
दूसरा वाद व कार्यवाही करने का अधिकार  
सुरक्षित रखते हुए वाद पर विदा कर  
पत्रक है । पत्रकली का बलबलोक सिध  
गया। इतर उरशा को गबिष्य मे  
दूसरा वाद व कार्यवाही करने का  
अधिकार सुरक्षित रखते हुए वाद विदा  
करने की इतरपके की जाती है । वादी का  
वाद इसी इतरता खाले सिध जाय  
है । पत्रकली के मलशुभ्या होकर  
नमर से कम होकर गबिष्य प्रविषले

  
उप खण्ड अधिकारी  
दीपक (सप)